

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

उचित व्यवहार संहिता

परिचय:

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी" या ऑटोमोनी") एक गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी ("बेस लेयर") है, कंपनी अपने उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय उचित व्यवसाय प्रथाओं को स्थापित करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों की समीक्षा और पालन करने का प्रयास करती है। तदनुसार, इस उचित व्यवहार संहिता ("एफपीसी" या "कोड") को मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी -स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 के अनुसार संशोधित किया गया है। इसलिए, उक्त निर्देशों के अनुपालन में, इस संहिता को समय-समय पर कंपनी के बोर्ड द्वारा तैयार, अनुमोदित और समीक्षा की गई है। कंपनी हमेशा समय-समय पर सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाएगी और इस संहिता के लिए आवश्यक उचित संशोधन करेगी।

इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं 2005 का संदर्भ है। आरबीआई/2015-16/16 डीएनबीआर (पीडी) सीसी.सं.054/03.10.119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है ताकि इसे लागू किया जा सके। यह सब मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में समेकित किया गया था, जिसे समय-समय पर संशोधित मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) निदेश, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

उचित व्यवहार संहिता, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर इन दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है जैसा कि आरबीआई के उपर्युक्त परिपत्र/निदेश में निहित है। यह उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय कंपनी के पालन के लिए न्यूनतम उचित अभ्यास मानकों को निर्धारित करता है। यह उधारकर्ताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करता है और बताता है कि कंपनी से दिन-प्रतिदिन के आधार पर उनसे कैसे निपटने की उम्मीद की जाती है।

संहिता का उद्देश्य

इस कोड के विकास के पीछे प्राथमिक उद्देश्य हैं:

(ए) उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार में अच्छी, निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रथाओं को बढ़ावा देना;

(बी) उधारकर्ताओं को इस बात की बेहतर समझ रखने में सक्षम बनाने के लिए पारदर्शिता बढ़ाएं कि वे सेवाओं से उचित रूप से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

(ग) उच्च प्रचालन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना;

(D) उधारकर्ताओं और कंपनी के बीच निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना।

गोपनीयता

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

- जब तक उधारकर्ताओं द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, कंपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगी।
- कंपनी निम्नलिखित असाधारण मामलों के अलावा समूह के भीतर सहित किसी अन्य इकाई को लेनदेन का विवरण प्रकट नहीं करेगी।
- यदि कंपनी को वैधानिक या नियामक कानूनों द्वारा जानकारी प्रदान करनी है,
- यदि इस जानकारी को प्रकट करने के लिए जनता का कर्तव्य है।
- यदि इसके हित के लिए हमें यह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है (जैसे धोखाधड़ी की रोकथाम)।
- कंपनी विपणन उद्देश्यों के लिए किसी और (समूह कंपनियों सहित) को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस कारण का उपयोग नहीं करेगी।
- यदि उधारकर्ता ने अन्य उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समूह/सहयोगी/संस्थाओं या कंपनियों को ऐसी जानकारी प्रदान करने/साझा करने के लिए सहमति/सहमति दी है।
- जहां उधारकर्ता हमें अन्य सेवाएं या उत्पाद प्रदान करने के लिए अपने समूह / सहयोगी / संस्थाओं या कंपनियों को ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए कहते हैं।

एक. कंपनी की प्रमुख प्रतिबद्धताएं और घोषणाएं:

एक.एक. वित्तीय गतिविधियों के संचालन में ईमानदारी, निष्पक्ष और यथोचित कार्य करना और अखंडता और पारदर्शिता के नैतिक सिद्धांतों पर हमारे उधारकर्ताओं से व्यवहार करना।

एक.दो. लिंग, नस्ल, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर ग्राहकों के खिलाफ भेदभाव नहीं करना और सभी ग्राहकों के साथ लगातार और निष्पक्ष व्यवहार करना।

एक.तीन. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर उचित व्यवहार संहिता को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम लगाना। इसके अलावा, कंपनी हमेशा अपने ग्राहकों से नए विचारों और सुझावों का स्वागत करती है। इसके लिए सुझाव पेट्री पंजीकृत कार्यालयों में लगाई जाती है।

एक.चार. 4 अर्हक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा बहियों के रखरखाव और वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

निदेशक मंडल और ऑटोमोनी की प्रबंधन टीम एफपीसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि इसके संचालन सभी हितधारकों के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से पेशकश करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों को समय-समय पर ऑटोमोनी के रूप में प्रदान कर सकते हैं और सभी ऑटोमोनी कर्मचारी / प्रतिनिधि इस प्रतिबद्धता से अवगत होंगे।

दो. ऋण प्राप्त करने और उनके प्रसंस्करण के लिए आवेदन

- अ) उधारकर्ता के लिए सभी संचार स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे।
- आ) सभी ऋण आवेदन प्रपत्रों में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होगी, विशेष रूप से ब्याज दर, प्रोसेसिंग प्रभार, बीमा प्रभार, दंड प्रभार और अतिदेय प्रभार और ऐसे अन्य प्रभार जो उधारकर्ता के हित को प्रभावित करते हैं, ताकि वह अन्य एनबीएफसी द्वारा प्रस्तावित नियमों और शर्तों के साथ सार्थक तुलना कर सके ताकि उधारकर्ता

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

द्वारा एक सूचित निर्णय लिया जा सके। ऋण आवेदन पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को इंगित करेगा।

- इ) ऑटोमनी पात्र योग्य आवेदकों को क्रेडिट प्रदान करेगा जो अपने ऋण अनुरोध पत्र के माध्यम से उधार लेने की आवश्यकता व्यक्त करते हैं।
- ई) कंपनी ऋण आवेदन और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए पावती देगी। कंपनी पार्टी को ऋण आवेदन को संसाधित करने के लिए किसी भी जानकारी और दस्तावेज के लंबित होने के बारे में सूचित करेगी। ऋण आवेदन पर निर्णय पूर्ण ऋण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं लिया जाएगा। ऋण आवेदन को पूर्ण माना जाएगा, जब सभी जानकारी विधिवत प्राप्त हो गई है और भर दी गई है और आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं और स्वीकार्य पाए गए हैं। ऋण आवेदन और पावती में वह समय सीमा होगी जिसके भीतर ऋण आवेदनों का निपटान किया जाएगा।
- उ) आवेदक को संबंधित अधिकारी का संपर्क नंबर दिया जाएगा, जिससे वह ऋण प्रक्रिया में विकास के बारे में पूछताछ कर सकता है।

तीन. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

१. कंपनी उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में लिखित रूप में सूचित करेगी जैसा कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति पत्र के माध्यम से या अन्यथा समझा जाता है, ब्याज की वार्षिक दर, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) और उसके आवेदन की विधि और उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति को अपने रिकॉर्ड पर रखेगी। **कंपनी ऋण समझौते में बोल्ड में देर से चुकौती के लिए दंड शुल्क का उल्लेख करेगी।**
२. कंपनी उधारकर्ता के साथ संविदा/ऋण समझौते में कानूनी रूप से लागू करने योग्य पुनः कब्जा खंड प्रदान करेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, संविदा/ऋण करार के निबंधन एवं शर्तों में निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल होने चाहिए कि (क) कब्जा लेने से पहले सूचना की अवधि; (ख) किन परिस्थितियों में नोटिस अवधि को माफ किया जा सकता है; (ग) प्रतिभूति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया क्या है; (घ) परिसंपत्तियों की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण की अदायगी के लिए उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर के संबंध में प्रावधान; (ङ) उधारकर्ता को कब्जा देने की प्रक्रिया और
३. कंपनी अपने स्वीकृति पत्र में सभी आकस्मिक प्रभारों का अलग-अलग खुलासा करेगी।
४. कंपनी ऋण की स्वीकृति/संवितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण करार में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक-एक प्रति के साथ-साथ ऋण करार में उद्धृत सभी संलग्नकों की एक-एक प्रति के साथ, यदि कोई हो, अधिमानतः उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करेगी।
५. समझ को सुदृढ़ करने के लिए, कंपनी आवेदन, मंजूरी और संवितरण के समय नियमों और शर्तों और जिम्मेदारियों को दोहराएगी।
६. उधारकर्ता को समझाए गए नियमों और शर्तों में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
 - अ. ऋण के पुनर्भुगतान की पद्धति।
 - आ. ऋण राशि और कार्यकाल, ब्याज दर, वार्षिक प्रतिशत दर, आवेदन की प्रसंस्करण शुल्क, विधि के साथ-साथ आकस्मिक शुल्क सहित अन्य शुल्क।
 - इ. चुकौती की आवृत्ति - चाहे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक (उधारकर्ता के विकल्प पर)।
 - ई. सह-उधारकर्ता/गारंटर (ओं) के मामले में, चूक के मामले में उनकी जिम्मेदारी।
 - उ. कंपनी द्वारा वितरित निधियों में से उधारकर्ता द्वारा सृजित पोर्टफोलियो का पूल विवरण प्रस्तुत करना।
७. कंपनी ऋण की शर्तों में विशेष रूप से ब्याज दर और आवधिकता से संबंधित, किस्तों की मात्रा और ऋण की अवधि / (ऋण प्रक्रिया / प्रक्रियाओं में कोई भी परिवर्तन) के लिए उचित नोटिस देने का वचन देती है।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

चार. विपणन और उत्पाद तालमेल

- अ. एक। स्पष्टता, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-भ्रामक अभ्यावेदन सुनिश्चित करने के लिए सभी विज्ञापन और प्रचार सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी। हम अपने सभी विपणन प्रयासों में पारदर्शिता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- आ. जन्म। हमारी कंपनी हमारे उधारकर्ताओं को वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए समर्पित है जिसके लिए वे पात्र हैं। इन पेशकशों में हमारी कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से विकसित उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ हमारे समूह या संबद्ध कंपनियों के भीतर संबद्ध संस्थाओं द्वारा और बाहरी संगठनों के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से पेश किए गए उत्पाद शामिल होंगे।
- इ. c. हमारा उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के बीच तालमेल को बढ़ावा देना है जो हम अपने ग्राहकों को क्रॉस-सेलिंग अवसरों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर प्रदान करते हैं। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, हम अपने विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के लाभों को अधिकतम करते हुए अपने उधारकर्ताओं के लिए समग्र मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

पाँच. बिक्री उत्पत्ति

अपने उधारकर्ताओं को उन उत्पादों और सेवाओं का चयन करने के लिए मार्गदर्शन करने में जो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम हैं, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं:

- उन सेवाओं और उत्पादों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देते हुए व्यापक जानकारी प्रदान करें जिनमें उधारकर्ताओं ने रुचि व्यक्त की है।
- उन खातों, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जो उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ संरेखित हों।
- हमारे "अपने ग्राहक को जानें" मानदंडों को पूरा करने और प्रचलित कानूनी और नियामक दायित्वों का पालन करने के लिए उधारकर्ताओं से आवश्यक जानकारी को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें।
- डेटाबेस उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं और उनके परिवार के बारे में अतिरिक्त जानकारी का सम्मानपूर्वक अनुरोध करें, जो उधारकर्ता स्वेच्छा से प्रदान कर सकते हैं।

जन्म। कंपनी हमारे उत्पादों और सेवाओं तक पहुँचने के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उधारकर्ताओं को इस बारे में सूचित किया जाए कि वे इन चैनलों के बारे में और जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं।

c. उधारकर्ता द्वारा किसी उत्पाद के चयन पर, हम इसकी कार्यक्षमता और संचालन पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उधारकर्ता पूरी तरह से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

d. हमारी कंपनी उधारकर्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित है, जो ऑपरेशन के मोड के लिए विशिष्ट है जिसके तहत उत्पाद चुना जाता है। हम सुनिश्चित करते हैं कि उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए अच्छी तरह से सूचित और सशक्त किया जाता है।

छः. नियम और शर्तों में परिवर्तन सहित ऋणों का संवितरण।

- अ) कंपनी उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में नोटिस देगी जैसा कि उधारकर्ता द्वारा समझा जाता है कि संवितरण अनुसूची, ब्याज दरें और आवधिकता, सेवा प्रभार, पूर्व भुगतान शुल्क आदि सहित नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि ब्याज दरों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भावी प्रभाव से ही हो। इस संबंध में एक उपयुक्त शर्त ऋण समझौते में शामिल की जाएगी।
- आ) करार के अंतर्गत भुगतान अथवा निष्पादन को वापस लेने/तेज करने का निर्णय ऋण करार के अनुरूप होगा। समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने/तेज करने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग करने का निर्णय लेने से पहले, कंपनी को उधारकर्ताओं को 7 दिन का नोटिस देना चाहिए
- इ) कंपनी सभी देयों के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगी, जो कंपनी के उधारकर्ता के खिलाफ किसी अन्य दावे के लिए किसी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन होगी। यदि समायोजन के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत कंपनी प्रासंगिक दावे के निपटान/भुगतान होने तक प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है।
- ई) कंपनी अपने ग्राहकों को ऋण के सभी नियमों और शर्तों, समय पर पुनर्भुगतान के लाभों और ऋण पर चूक के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करेगी।

सात. ऋणों की वसूली

- अ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदर्शन के आधार पर भुगतान को वापस लेने/तेज करने का उसका निर्णय ऋण समझौते के अनुरूप है।
- आ) अपने उधारकर्ता की बकाया देय राशियों की वसूली के मामले में, कंपनी अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी जैसे कि देर रात उधारकर्ता को लगातार परेशान करना, ऋणों की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना, आदि। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ताओं के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है।
- इ) एक ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों को सख्ती से लागू करते हुए, कंपनी विनम्र भाषा में विश्वास करती है और अपमानजनक और कठोर शब्दों के उपयोग को त्याग देती है।
- ई) कंपनी सभी प्रतिभूतियों को जारी करने का वचन देती है, यदि कोई हो, सभी देयों के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर, उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी अन्य दावों के लिए किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन। कंपनी अपने उधारकर्ताओं को उनके द्वारा चुने गए उत्पाद/सेवाओं को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में लगाए जाने वाले उत्तरदायी दंड के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और उनके द्वारा चुने गए उत्पादों और सेवाओं पर लागू किसी भी शुल्क के अपने टैरिफ अनुसूची में सभी विवरण प्रदान करेगी।
- उ) यदि समायोजन के ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाए जिनके तहत कंपनी प्रतिभूतियों

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

को बनाए रखने की हकदार है, यदि कोई हो, जब तक कि संबंधित दावे का निपटान/भुगतान नहीं किया जाता है।

आठ. गोपनीयता और गोपनीयता

एक. क्रेडिट संदर्भ एजेंसियां/क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी):

अ. कंपनी विनियामक निर्देशों/दिशानिर्देशों या कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार क्रेडिट सूचना कंपनियों को अपने उधारकर्ताओं के ऋण और पुनर्भुगतान ट्रेक रिकॉर्ड का विवरण साझा कर सकती है।

आ. कंपनी क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ व्यक्तिगत ऋणों के बारे में जानकारी साझा कर सकती है जो उधारकर्ताओं पर बकाया है यदि:

१. उधारकर्ता अपने भुगतान के पीछे पड़ गया है
२. बकाया राशि विवाद में नहीं है
३. बकाया राशि के पुनर्भुगतान की हमारी औपचारिक मांग के बाद उधारकर्ताओं ने भुगतान नहीं किया है।

इ. उसी समय, कंपनी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं को सीआईसी की भूमिका और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी का उधारकर्ताओं के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट प्राप्त करने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताएंगे।

ई. कंपनी उधारकर्ता के खाते के बारे में सीआईसी को जानकारी देगी यदि उधारकर्ता ने ऐसा करने की अनुमति दी है या वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं में ऐसा निर्धारित किया गया है।

दो. जानकारी साझा करना:

अ. कंपनी अपने समूह/सहयोगी हकदारी या कंपनियों को ऐसी सूचना प्रदान कर सकती है जिसके लिए उसने ऋण आवेदन/स्वीकृति पत्र/सर्वाधिक महत्वपूर्ण निबंधन एवं शर्तों/ऋण करार के अंतर्गत अपने उधारकर्ताओं से सहमति/अनुमति प्राप्त की है।

आ. कंपनी उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगी, भले ही उधारकर्ता अब सहयोगी न हों। हम निम्नलिखित असाधारण मामलों में ऊपर दिए गए को छोड़कर उधारकर्ताओं के डेटा या जानकारी को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे;

१. कानून द्वारा आवश्यक
२. सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्य;
३. कंपनी के हित में जानकारी देने की आवश्यकता है
४. कंपनी को उधारकर्ताओं से सहमति/अनुमति प्राप्त है

इ. कंपनी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं को भारत के कानूनों के तहत उनके अधिकारों/देनदारियों के बारे में सूचित करेंगे ताकि कंपनी के पास उनके बारे में व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई जा सके; कंपनी विपणन उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग नहीं करेगी जब तक कि उधारकर्ता विशेष रूप से हमें ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं करते हैं।

नौ. जिम्मेदार उधार आचरण- ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना

अ) कंपनी सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेज जारी करेगी और ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत प्रभारों को हटा देगी।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

- आ) उधारकर्ता को अपनी पसंद के अनुसार मूल चल/अचल संपत्ति के दस्तावेजों को या तो बैंकिंग आउटलेट/शाखा से, जहां ऋण खाता सेवित किया गया था या कंपनी के किसी अन्य कार्यालय से, जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा।
- इ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समय-सीमा और स्थान का उल्लेख प्रभावी तिथि को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में किया जाएगा।
- ई) एकमात्र उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ताओं के निधन की आकस्मिक घटना को संबोधित करने के लिए, कंपनी के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल / अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया उधारकर्ताओं की जानकारी के लिए अन्य समान नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- उ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में देरी के मामले में या ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों से अधिक समय के बाद संबंधित रजिस्ट्री के साथ प्रभार संतुष्टि फॉर्म दाखिल करने में विफल रहने के मामले में, कंपनी उधारकर्ता को ऐसे विलंब के कारणों के बारे में सूचित करेगी। ऐसे मामले में जहां देरी कंपनी के कारण होती है, वह उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 5,000 की दर से मुआवजा देगी।
- ऊ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों के खोने/क्षति के मामले में, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, कंपनी चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में उधारकर्ता की सहायता करेगी और ऊपर खंड (ii) में दर्शाए गए अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के अलावा संबंधित लागतों को वहन करेगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के जुर्माने की गणना उसके बाद की जाएगी (यानी, कुल 60 दिनों की अवधि के बाद)।
- ऋ) इन निदेशों के अंतर्गत प्रदान किया गया मुआवजा किसी भी लागू कानून के अनुसार कोई अन्य मुआवजा प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

दस. ग्राहक सुरक्षा सिद्धांत

क) कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि क्रेडिट केवल तभी बढ़ाया जाएगा जब उधारकर्ताओं ने चुकाने की पर्याप्त क्षमता का प्रदर्शन किया हो और ऋण उधारकर्ताओं को अति-ऋणग्रस्तता के महत्वपूर्ण जोखिम में नहीं डालेंगे। इसी तरह, कंपनी इस बात का पर्याप्त ध्यान रखेगी कि कम आय वाले ग्राहकों को दिए गए गैर-क्रेडिट वित्तीय उत्पाद (जैसे बीमा) उपयुक्त हों।

बी) वित्तीय उत्पादों के मूल्य निर्धारण, नियम और शर्तें (ब्याज शुल्क, बीमा प्रीमियम, सभी शुल्क, आदि सहित) पारदर्शी होंगी और ग्राहकों के लिए समझने योग्य आवेदन पत्र में पर्याप्त रूप से खुलासा किया जाएगा।

स) व्यक्तिगत क्लाइंट डेटा की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा, और इस तरह के डेटा का उपयोग निम्नलिखित असाधारण मामलों के अलावा क्लाइंट की स्पष्ट अनुमति के बिना अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- अगर हमें वैधानिक या नियामक कानूनों द्वारा जानकारी प्रदान करनी है
- यदि इस जानकारी को प्रकट करने के लिए जनता का कर्तव्य है

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला
कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

- यदि हमारे हित में हमें यह जानकारी (जैसे धोखाधड़ी की रोकथाम) बैंकों/वित्तीय संस्थानों/हमारे समूह और सहयोगी कंपनियों को प्रदान करने की आवश्यकता है।
- हम विपणन उद्देश्यों के लिए किसी और को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस कारण का उपयोग नहीं करेंगे।

ग्यारह. शिकायत निवारण तंत्र

अ) कंपनी संगठन के भीतर उचित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगी। इस तरह के तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के संस्थानों के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को सुना जाए और कम से कम अगले उच्च स्तर पर निपटाया जाए।

आ) निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा का भी प्रावधान करना चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट बोर्ड को नियमित अंतराल पर प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

इ) उधारकर्ताओं के लाभ के लिए, कंपनी की सभी शाखाओं/स्थानों पर, जहां कारोबार किया जाता है, निम्नलिखित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी:

यानी, शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन / मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल पता भी) जिससे कंपनी के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है।

ii. यदि उधारकर्ताओं की शिकायत/चिंता का निवारण 30 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता RBI CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है - <https://cms.rbi.org.in>

स्तर 1 वृद्धि:

उधारकर्ताओं की किसी भी शिकायत / शिकायत के मामले में, उनके द्वारा शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी तुरंत 10 कार्य दिवसों के भीतर शिकायतों के निवारण के लिए सभी प्रयास करेगा।

शिकायत निवारण अधिकारी

श्री श्रीरंग दाते

मुख्य जोखिम अधिकारी

shrirangd@automony.in

96192 40025

(सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच)

यदि शिकायत का समाधान दिए गए समय के भीतर नहीं किया जाता है या उधारकर्ता उपरोक्त चैनल के माध्यम से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो उधारकर्ता निम्नलिखित से संपर्क कर सकता है:

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

स्तर 2 वृद्धि:

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 के तहत नोडल अधिकारी:

श्री ऋषभ बाफना

निर्देशक

98205 02004

rishabb@automony.in

(सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच)

उधारकर्ता को 10 कार्य दिवसों के भीतर प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। कृपया इस संबंध में अपने पहले के पत्र के संदर्भ को उद्धृत करें।

स्तर 3 वृद्धि:

यदि उधारकर्ता अभी भी ऊपर बताए गए विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या यदि शिकायत का निवारण एक महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता आरबीआई के प्रभारी अधिकारी से अपील कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है। प्रभारी अधिकारी के संबंध में विवरण इस प्रकार हैं: -

प्रभारी अधिकारी

भारतीय रिजर्व बैंक,

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,

केंद्रीय कार्यालय केंद्र I,

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

कफ परेड,

कोलाबा, मुंबई - 400005

बारह. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

लोकपाल योजना के तहत, कंपनी ने प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) नियुक्त किया है जो कंपनी का प्रतिनिधित्व करने और कंपनी के खिलाफ दायर शिकायतों के संबंध में लोकपाल को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा। कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी (एनओ) पीएनओ की सहायता करेंगे।

उधारकर्ताओं के लाभ के लिए, शाखाओं/स्थानों पर जहां व्यवसाय किया जाता है, पीएमओ का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन/मोबाइल नंबर और ईमेल) के साथ-साथ लोकपाल (<https://cms.rbi.org.in>) के शिकायत दर्ज पोर्टल के विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे।

योजना की मुख्य विशेषताएं सभी कार्यालयों और शाखाओं में अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस तरह से प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएंगी कि कार्यालय या शाखा में आने वाले व्यक्ति को योजना के बारे में पर्याप्त जानकारी हो।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

लोकपाल योजना की सभी मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ योजना की प्रति और प्रधान नोडल अधिकारी के संपर्क विवरण को प्रमुखता से वेबसाइट पर प्रदर्शित और अद्यतन किया जाएगा।

- अ) कंपनी उधारकर्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपनी शाखाओं/कार्यालयों के प्रमुख स्थान पर एक शिकायत पेटी रखेगी। उधारकर्ताओं को शिकायत के बारे में शाखा को लिखित रूप में सूचित करना चाहिए। उक्त शिकायतों को इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- आ) ग्राहक और अन्य जिन्हें कंपनी के कामकाज के बारे में कोई शिकायत है, वे शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में अपनी शिकायतों को संबोधित कर सकते हैं और आगे 'निदेशक' को उनकी शिकायत के निवारण के लिए संबोधित कर सकते हैं जो ऐसी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि में इसका निपटान करेंगे। यदि शिकायतकर्ता निदेशक के निर्णय से संतुष्ट नहीं है/हैं तो वह बोर्ड को अपील कर सकता है जो अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उसका निपटान भी करेगा।
- इ) उत्पादों और सेवाओं के संबंध में शाखाओं के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाएगा। इसलिए, निम्नलिखित 'शिकायत निवारण तंत्र' स्थापित किया गया है।

शिकायत स्तर	निवारण स्तर
अधिकारी	विभागाध्यक्ष
विभागाध्यक्ष	निदेशक
निदेशक	निदेशक मंडल

- ई) शिकायत निवारण नीति <https://automony.in/> को उपलब्ध है। ऑटोमनी ने व्यवसाय पद्धतियों, उधार निर्णयों, ऋण प्रबंधन और वसूली से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में उधारकर्ताओं सहित ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक अधिकारी नामित किया है। नामित शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण श्री श्रीरंग तिथि संपर्क नंबर है। 9619240025 ई-मेल: <shrirangd@automony.in. शिकायत निवारण अधिकारी का ब्यौरा स्वायत्तशाला शाखाओं में प्रदशत किया गया है।
- उ) यदि शिकायत/विवाद का निवारण एक माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता **भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय-गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय केंद्र I, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई - 400005** के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अपील कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी का पंजीकृत कार्यालय आता है।
- ऊ) कंपनी ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करेगी, केवल ग्राहकों के ज्ञान और सहमति के साथ दूसरों को ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण और आदान-प्रदान की अनुमति देगी जो इसे देखने के लिए अधिकृत हैं।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

तेरह. अत्यधिक ब्याज पर लगाए गए विनियमन

- अ) कंपनी प्रासंगिक कारकों जैसे कि धन की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम, आदि को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाएगी और ऋण और अग्रिमों के लिए ली जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करेगी। ब्याज की दर और जोखिम के श्रेणीकरण के लिए दृष्टिकोण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग ब्याज दर प्रभारित करने के औचित्य को उधारकर्ता को आवेदन पत्र में प्रकट किया जाएगा और स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।
- आ) ब्याज की दरें और विभेदक दर के लिए जोखिमों के श्रेणीकरण के लिए दृष्टिकोण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा या संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट में प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित जानकारी को अद्यतन किया जाना चाहिए जब भी ब्याज दरों में कोई बदलाव हो।
- इ) ब्याज की दर वार्षिक दरों की होनी चाहिए ताकि उधारकर्ता को उन सटीक दरों के बारे में पता हो जो खाते से ली जाएंगी।
- ई) ब्याज ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण करार के निष्पादन की तारीख के बजाय ग्राहक को निधियों के वास्तविक संवितरण की तारीख से प्रभारित किया जाएगा।
- उ) चेक द्वारा संवितरित ऋण के मामले में, जहां चेक की तारीख से ब्याज लिया जाता है, कंपनी ग्राहक को चेक सौंपने में देरी से बचेगी।
- ऊ) महीने के दौरान ऋणों के संवितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, ब्याज पूरे महीने के बजाय केवल उस अवधि के लिए लिया जाएगा जिसके लिए ऋण बकाया था।
- ऋ) ऐसे मामले में जहां एक या एक से अधिक किश्तें अग्रिम रूप से एकत्र की जाती हैं, तो अग्रिम राशि को ब्याज लेने के लिए पूर्ण ऋण राशि से बाहर रखा जाएगा।
- ल) आरबीआई/2014-15/12 डीएनबीएस (पीडी) को जारी परिपत्र के अनुसार। CC.NO. 399/03.10.42/2014-15 दिनांक 399/03.10.42/2014-15 दिनांक 14 जुलाई, 2014 के अनुसार, कंपनी व्यक्तियों के उधारकर्ताओं को मंजूर की गई सभी अस्थिर दर शर्तों पर पुरोबंध प्रभार/पूर्व-भुगतान दंड प्रभारित नहीं करेगी।

चौदह. शारीरिक/दृष्टिबाधित व्यक्तियों को ऋण सुविधाएं

कंपनी ने अपनी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया इस प्रकार तैयार की है कि यह विकलांगता के आधार पर शारीरिक/दृष्टिबाधित आवेदकों को ऋण सुविधाओं सहित उत्पादों और सुविधाओं का विस्तार करते समय किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकती है। कंपनी की सभी शाखाएं ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती हैं। उपयुक्त मॉड्यूल भी शामिल किया गया है जिसमें सभी स्तरों पर अपने कर्मचारियों के लिए आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा उन्हें गारंटीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकार शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र के तहत विकलांग व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करती है।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला

कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

पंद्रह. सामान्य

- अ) कंपनी ऋण की मंजूरी के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए उद्देश्यों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचेगी (जब तक कि नई जानकारी, जो उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई थी, ऋणदाता के ध्यान में नहीं आई है)।
- आ) उधारकर्ता अथवा ऋणदाता से, जो खाता अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव करता है, से उधार खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, सहमति अथवा अन्यथा अर्थात् कंपनी की आपत्ति, यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर संसूचित कर दी जाएगी। ऐसा स्थानांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।
- इ) कंपनी अपराधी उधारकर्ता को 08:00 A.M. से 07:00 P.M. के बीच कॉल करेगी। जब तक कि उधारकर्ता के व्यवसाय की विशेष परिस्थितियों में उन्हें उल्लिखित घंटों के बाहर अन्यथा कॉल करने की आवश्यकता न हो।
- ई) कंपनी अपराधी उधारकर्ता से प्रभारित प्रतिभूति को लागू करने की व्यवस्था कर सकती है, यदि आवश्यक हो, केवल इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई के बकाया, लागत और खर्चों की वसूली के उद्देश्य से।
- उ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी सुरक्षा, मूल्यांकन और प्राप्ति को लागू करने की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

सोलह. अनुपालन

- अ) कंपनी 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत के 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष एक अनुपालन रिपोर्ट रखेगी, जिसमें उक्त छमाही वित्तीय वर्ष के अंत में उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन की सीमा का संकेत दिया गया हो।
- आ) कंपनी 31 मार्च को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज पर एक रिपोर्ट (विशेष रूप से किसी भी विचलन और इसके कारणों का संकेत देते हुए) उक्त छमाही के अंत में भी पेश करेगी।
- इ) उचित व्यवहार संहिता स्थानीय भाषा में होगी और उसी में अंग्रेजी में होगी, उसका अनुवाद या द्विभाषी संस्करण रखा जाएगा।
- ई) विभिन्न हितधारकों की जानकारी के लिए उचित व्यवहार संहिता को कंपनी की सभी शाखाओं और कार्यालयों के नोटिस बोर्ड और कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई हो, पर रखा जाएगा।

कंपनी द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का विवरण

नोडल अधिकारी	पीएनओ/नंबर का विवरण
प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ)	नाम - मरो। श्रीरंग तिथि दूरभाष संख्या-96192 40025 ईमेल आईडी- shrirangd@automony.in

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला
कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

क्षेत्रीय नोडल अधिकारी (NO)	स्थान: महाराष्ट्र	नाम - प्रवेश सिंह दूरभाष संख्या-81080 70786 ईमेल आईडी: parveshs@automony.in
	स्थान: गुजरात	नाम - श्री गिरीश पटेल दूरभाष संख्या-99250 44077 ईमेल ID-girishp@automony.in

सत्रह. प्रतिक्रिया और सुझाव

हम अपने उधारकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने में हमारी मदद करने के लिए हमारी सेवा पर प्रतिक्रिया प्रदान करें।

अठ्ठारह. निगरानी

संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास एक नोडल अधिकारी है।

नोडल अधिकारी:

रौनक गोयल का निधन

अनुपालन अधिकारी

RBSG कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

संपर्क नंबर: 9930988025 और ईमेल-आईडी: cs@automony.in

हमारी आंतरिक ऑडिटिंग प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती हैं कि हम कोड को पूरा करते हैं।

उन्नीस. ओवरराइडिंग प्रभाव

यदि इस नीति में निहित कोई भी खंड समय-समय पर जारी और संशोधित आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों को ओवरराइड करता है, तो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधान इस नीति की सामग्री को ओवरराइड करेंगे।

बीस. समीक्षा

निदेशक मंडल समय-समय पर उचित व्यवहार संहिता में किसी भी संशोधन की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगा।



श्री ऋषभ बाफना

निर्देशक

दीन.: 06492455

स्थान: मुंबई

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, फ्लोर -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, पेनिनसुला
कॉर्पोरेट पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automony.in

तिथि:08/01/2024